

फार्म - तीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
[उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-48(3) देखें]
टैक्स डिडक्शन नंबर के आवंटन का प्रमाण पत्र

सर्वश्री-----जिसका
मुख्य व्यापार स्थल-----पर स्थित है, जो वाणिज्य कर विभाग के
खण्ड-----सर्किल-----के क्षेत्राधिकार में है और उ०प्र० वैट अध्यादेश, 2007 के प्राविधानों के प्रतिबन्धों के अंतर्गत, टैक्स डिडक्शन नंबर
-----श्रोत पर कर की कटौती हेतु आवंटित किया जाता है। यह प्रमाण पत्र तिथि-----से व्यापार बन्द होने
की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

संविदी / खरीददार / सरकारी विभाग का नाम व पता																											
फोन नंबर, यदि कोई हो																											
टिन (यदि कोई हो)																			प्रभावी तिथि	d	d	m	m	y	y	y	y

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम																								
फोन नंबर, यदि कोई हो																								

आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी का नाम व पता																								
फोन नंबर, यदि कोई हो																								

क्र०सं०	विवरण	3										
1.	कार्यालय / व्यापार का संघटन											
2.	उ०प्र० के अंदर व उ०प्र० के बाहर स्थित शाखाएं	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td></tr> <tr><td>--</td><td></td></tr> </table>	1.		2.		3.		4.		--	
1.												
2.												
3.												
4.												
--												

नोट - यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी का परिवर्तन होता है, तो उसके नाम व पते की सूचना करनिर्धारण अधिकारी को परिवर्तन के दिन से 30 दिन के अंदर देना अनिवार्य है।

स्थान-
तिथि-

पंजीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर
नाम व मुहर